Title: Need to amend Forest Laws with a view to provide basic amenities to the tribals-Laid.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, सन् 1980 का जो केन्द्र सरकार का फारेस्ट कानून है, इस कानून से पर्वत क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र नानाविध विकास काम से वंचित रहा है। बांध, स्कूल, सड़कें, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, टेलीफोन, नहर यह सुविधा करने के लिये पाबंदी लगा दी है। कई सालों से जनजाति लोगों ने फॉरेस्ट जमीन खेती में लाई गई है। यह जमीन रेवेन्यू में डालना जरूरी है, रुकावट आई है।

मेरी आपके माध्यम से वन मंत्री जी से प्रार्थना है कि फॉरेस्ट कानून में संशोधन किया जाये।